

मा० मंत्री, पशुधन, मत्स्य एवं लघु सिंचाई विभाग, उ०प्र०सरकार की अध्यक्षता में मत्स्य विभाग, उ०प्र० की मासिक समीक्षा बैठक दिनांक 20.04.2017 का कार्यवृत्त।

दिनांक: 20 अप्रैल 2017

समय: अपराह्न 01:00 बजे

स्थान: सभाकक्ष मत्स्य चेतना केन्द्र,
मत्स्य निदेशालय, लखनऊ।

दिनांक 20 अप्रैल 2017 को अपराह्न 01:00 बजे से मत्स्य निदेशालय स्थित मत्स्य चेतना केन्द्र के सभागार में मा० विभागीय मंत्री जी डा०एस०पी०सिंह बघेल की अध्यक्षता एवं मा० राज्य मंत्री जी श्री जयप्रकाश निषाद की गरिमामयी उपस्थिति में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित हुयी जिसमें मुख्यालय, मण्डलीय एवं जनपदीय विभागीय अधिकारियों सहित उ०प्र०मत्स्य विकास निगम लि०, लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ के अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित थे। संयुक्त निदेशक मत्स्य द्वारा मा० मंत्रीगणों के स्वागत के उपरान्त मा० मंत्री महोदय जी से विभागीय अधिकारियों का संक्षिप्त परिचय कराया गया। मा० मुख्यमंत्री जी के समक्ष दिनांक 07.04.2017 को हुए विभागीय प्रस्तुतीकरण में दिये गये आदेश/निर्देशों से विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया गया। आगामी सौ दिनों हेतु निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने तथा वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की रणनीति पर विचार विमर्श करते हुए मा०मंत्रीजी द्वारा निम्नांकित निर्देश दिये गये:-

-मा० मंत्रीजी द्वारा दिये गये निर्देश -

- मछुआ आवास योजना को भविष्य में निषाद राज गुहा मछुआ आवास के नाम से संचालित किया जाएगा और इसके निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान इकाई लागत रु०-1.20 लाख के अनुरूप रखते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3000 आवासों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता निर्गत कराने का प्रयास किया जाये। मा०मंत्रीजी ने यह अपेक्षा की है कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति उन्हें भी उपलब्ध करायी जाये ताकि उनके स्तर से भी आवश्यकतानुसार मा० केन्द्रीय कृषि मंत्री जी से इस सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा सके।
- प्रदेश में प्रस्तावित तालाब विकास प्राधिकरण के गठन हेतु प्रस्तावित उद्देश्यों में मत्स्य विभाग की भूमिका भी सम्मिलित कराते हुए एवं जनपदीय विभागीय अधिकारी (सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी) को जनपदीय समिति में सम्मिलित कराने का प्रस्ताव दिया जाये। डार्क जौन वाले विकास खण्डों में भूर्गम्ब जल स्तर बढ़ाने हेतु निजी भूमि पर तालाब निर्माण एवं सुधार कराते हुए मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने हेतु प्रस्तावित तालाब विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत अधिकारिक प्रस्ताव दिये जायें।
- मा० राज्यमंत्री जी के परामर्श पर मा० मंत्रीजी द्वारा 0.2 हेठो से कम के क्षेत्रफल के तालाबों के निर्माण/सुधार पर बल देते हुए यह निर्देश दिये गये कि निर्बल वर्ग के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये ऐसे तालाबों में मत्स्य बीज का विकास और मत्स्य पालन कार्य को प्रोत्साहित किये जाने के लिये नई मांग के रूप में विभागीय योजनायें तैयार की जायें।
- व्यावसायिक मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिये पशु पालन विभाग द्वारा संचालित कामधेनु योजना, मिनी कामधेनु योजना एवं माइक्रो कामधेनु योजना की भौति मॉडल परियोजनाओं का प्रस्ताव दिया जाये ताकि सभी वर्ग के इच्छुक व्यक्तियों को मत्स्य पालन से जोड़ते हुए प्रदेश में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके।
- प्रदेश में तराई क्षेत्र वाले जनपदों में वेटलैण्ड की बहुतायत को देखते हुए मत्स्य बीज संवर्धन इकाईयों एवं मत्स्य पालन हेतु तालाबों/झीलों के विकास की पाईलेट परियोजनायें प्रस्तावित की जायें और उनके कार्यान्वयन हेतु केन्द्र पोषित नीली कान्ति योजनान्तर्गत व्यवस्था करायी जाये।
- मा० राज्यमंत्री जी द्वारा विभाग, उ०प्र० मत्स्य विकास निगम लि० एवं उ०प्र० मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि० के स्वामित्व में आने वाले जलाशयों का विवरण एवं उनके मत्स्याखेट निरस्तारण की स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिये गये।
- उ०प्र० मत्स्य विकास निगम लि० द्वारा संचालित मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्रों से मत्स्य बीज उत्पादन की क्षमता विकास में वृद्धि सुनिश्चित कराई जाये और मत्स्य पालकों को गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज उपलब्ध कराया जाये।

20/04/2017

- जनपदीय अधिकारी एवं कार्मिक फील्ड भ्रमण के दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं ग्राम प्रधानों से सम्पर्क करें और उनकी अध्यक्षता में गाँव में चौपाल लगाकर युवाओं को मत्स्य पालन अपनाने हेतु प्रोत्साहित करें।
- पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के कार्यशील बनाने हेतु उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ द्वारा सशक्तिकरण योजना को पुनर्जीवित कराया जाये और विभिन्न बैंक खातों में पूर्व की जमा धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित कराने हेतु नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की जाये।
- सहकारी समितियों के निबन्धन हेतु नदियों और बहते जलक्षेत्र में समिलित किये जाने हेतु सम्यक विचार करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाये। दो हे0 से बड़े तालाबों का पट्टा लगान रु0 10,000 प्रति हे0/वर्ष यथावत बनाये रखा गया है जबकि बड़े तालाबों में मत्स्य पालन में लगाये गये निवेश के अनुरूप उनकी उत्पादन एवं उत्पादकता कम होने के कारण लाभ लागत अनुपात प्रभावित होता है। समितियों के अधिकांश सदस्य निर्बल वर्ग के होने के कारण, ऐसे तालाबों का लगान अधिक होने के कारण, उन्हें कम लाभांश प्राप्त होता है। इसके दृष्टिगत मा0 मंत्री जी ने राजस्व विभाग को 2.00 हे0 के तालाबों पर लगाने वाले लगान की वार्षिक धनराशि के समान ही निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव शासन के माध्यम से भेजा जाये।
- निजीक्षेत्र में संचालित मोबाईल फिश पार्लर को नगर निगम/नगर पालिका/टाउन एरिया की सीमा में सुचारू रूप से संचालन में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत शहरी विकास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को शासन स्तर से सम्यक प्रस्ताव भेजकर समस्या का निदान कराया जाये।
- तालाबों के निर्माण/सुधार के दौरान तालाबों से निकलने वाली मिट्टी पर खनिकर्म विभाग द्वारा रोक लगाये जाने के कारण तालाबों के निर्माण/सुधार पर प्रतिकूल प्रभाव के दृष्टिगत मा0मंत्रीजी द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव खनिकर्म को औचित्यपूर्ण प्रस्ताव भेजते हुए सभी जिलाधिकारियों को तालाबों के निर्माण/सुधार कार्य में व्यवधान पैदा न होने सम्बन्धी निर्दश शासन स्तर से प्रसारित कराये जायें।
- मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिलाने की वास्तविक पहल की आवश्यकता है, सम्बन्धित विभागों से इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर मत्स्य कृषकों को सुविधा दिये जाने सम्बन्धी कार्यवाही शासन स्तर से की जाये।
- विभाग में एक हाईपावर कमेटी बनायी जाये जो विभाग हेतु एक मास्टर प्लान तैयार कर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए योजनाओं को कियान्वित कराये।
- समस्त मण्डलीय अधिकारी अपने मण्डल के समस्त जनपदीय कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करायें एवं निदेशालय पर भेजी जाने वाली सूचनायें अपनी आख्या सहित भेजे इसमें यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो इस हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
- लाभार्थी परक योजनाओं में लाभार्थी का आधार नम्बर एवं मोबाईल नम्बर अवश्य डिस्प्ले करें तथा सभी योजनाओं के फोटोग्राफ भेजे और उसे एप्स पर अपलोड करें।

अन्त में मा0 मंत्री जी द्वारा उपस्थित विभागीय/ उ0प्र0मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ के अधिकारी एवं कार्मिक को अपने संबोधन में मत्स्य विकास कार्यक्रमों को निष्ठा एवं लगन के साथ करने हेतु प्रेरित करते हुए यह अपेक्षा की गई कि विभागीय हित में यदि कोई महत्वपूर्ण सुझाव अथवा परियोजना प्रस्ताव किसी भी अधिकारी के विचार में आता है। तो उसे उनके साथ साझा करने में कोई संकोच न किया जाय। इसके उपरान्त धन्यवाद के साथ बैठक का समापन किया गया।

27/1/2017
(एस0के0सिंह)

संयुक्त निदेशक मत्स्य,

मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।